सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
वैशाख 11, शुक्रवार शाके 1942- मई 1, 2020	
Vaisakha 11, Friday , Saka 1942- May 1, 2020	

भाग 4(ख)

राज्यपाल, राजस्थान के अध्यादेश।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, May 1, 2020

No. F.4(6)Vidhi/2/2020.- The following Ordinance made and promulgated by the Governor of the State of Rajasthan on the 1st day of May, 2020 is hereby published for general information:-

THE RAJASTHAN AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS (AMENDMENT) ORDINANCE, 2020

(Ordinance No. 2 of 2020)

(Made and promulgated by the Governor on the 1st day of May, 2020)

An

Ordinance

further to amend the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961.

Whereas, the Rajasthan State Legislative Assembly is not in session and the Governor of the State of Rajasthan is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, the Governor in exercise of the powers conferred on him by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, hereby promulgates in the Seventy-first Year of the Republic of India, the following Ordinance, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) This Ordinance may be called the Rajasthan Agricultural Produce Markets (Amendment) Ordinance, 2020.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 17, Rajasthan Act No. 38 of 1961.- In section 17 of the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961 (Act No. 38 of 1961), hereinafter in this Act referred to as the principal Act, after the existing expression "agricultural produce" and before the existing expression "bought or", the expression "brought or" shall be inserted.

3. Insertion of new section 17-A, Rajasthan Act No. 38 of 1961.- After the existing section 17 and before the existing section 18 of principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"17-A. Power to collect Krishak Kalyan fee.- (1) The market committee shall collect Krishak Kalyan fee from the licensees in the prescribed manner on

agricultural produce brought or bought or sold by them in the market area at such rate as may be specified by the State Government, by notification in the Official Gazette.

(2) The fee collected shall be deposited in Krishak Kalyan Kosh constituted under section 19-A.".

कलराज मिश्र,
Governor of Rajasthan.

विनोद कुमार भारवानी,
Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मई 1, 2020

संख्या प.4(6)विधि/2/2020.- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "दी राजस्थान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स (अमेण्डमेन्ट) ऑर्डिनेन्स, 2020 (ऑर्डिनेन्स नं. 2 ऑफ 2020)" का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैः-

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2020

(2020 का अध्यादेश संख्यांक 2)

(राज्यपाल द्वारा 1 मई, 2020 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया)

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिए अध्यादेश।

यतः, राजस्थान राज्य विधान सभा सत्र में नहीं है और राजस्थान राज्य के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

अतः अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में इसके द्वारा निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- **(1) इस अध्यादेश का नाम राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 है।**

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1961 के राजस्थान अधिनियम सं. 38 की धारा 17 का संशोधन.- **राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सं. 38), जिसे इस अधिनियम में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 17 में विद्यमान अभिव्यक्ति ''मण्डी क्षेत्र में'' के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति ''क्रीत या विक्रीत'' से पूर्व, अभिव्यक्ति ''लायी गयी या'' अंत:स्थापित की जायेगी।**

3. 1961 के राजस्थान अधिनियम सं. 38 में नयी धारा 17-क का अंत:स्थापन.- **मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 17 के पश्चात् और विद्यमान धारा 18 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-**

"17-क. कृषक कल्याण फीस संगृहीत करने की शक्ति.- **(1) मण्डी समिति अनुज्ञप्तिधारियों से, उनके द्वारा मण्डी क्षेत्र में लायी गयी या क्रीत या विक्रीत कृषि उपज पर ऐसी दर से कृषक कल्याण फीस, विहित रीति से संगृहीत करेगी जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये।**

(2) संगृहीत की गयी फीस धारा 19-क के अधीन गठित कृषक कल्याण कोष में जमा की जायेगी।''।

कलराज मिश्र,
राज्यपाल, राजस्थान।

विनोद कुमार भारवानी,
प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।